

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
गोपालगंज, बेगुसराय, सुपौल, समस्तीपुर, अररिया, मधुबनी एवं दरभंगा।
पटना, दिनांक

विषय :- एम०जे०सी० सं०-2324/2015 उपेन्द्र पाण्डेय एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि रूपये 79,376/- (उनासी हजार तीन सौ छिहत्तर रू०) मात्र रूपये का उपआवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मांग संख्या-13, मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ (प्रभित), उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघुशीर्ष-701-विविध, उपशीर्ष-0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड-एन 2049607010003, विषय शीर्ष-45 01-ब्याज के अन्तर्गत उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रूपये 79,376/- (उनासी हजार तीन सौ छिहत्तर रू०) मात्र आपको उप आवंटित की जाती है।

2. उक्त राशि शिक्षा विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-281 दिनांक-15.03.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-316 दिनांक-21.03.2016 के आलोक में उक्त राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-420 दिनांक-30.03.2016 के क्रम में उप आवंटित है। (छाया प्रति संलग्न)
3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि-2) दिनांक-17.04.1998 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है। राशि की निकासी उक्त परिपत्र के आलोक में ही किया जाय।
4. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मुहर लगाया जाए।
5. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।
6. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।
7. शिक्षा विभाग द्वारा उक्त स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध इसके पूर्व उक्त राशि के भूगतान हेतु राशि आवंटित/उपआवंटित नहीं की गई है।
8. भूगतानोपरांत कोषागार का नाम एवं टी०भी० संख्या वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।
9. राशि का व्यय उसी कार्य के लिए किया जाये जिसके लिए राशि उपआवंटित की गई है।
10. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्न-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ

प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

466

पटना, दिनांक:-

31/3/16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार/सचिव (व्यय), वित्त विभाग/वित्त विभाग, बजट शाखा एवं
अंकेक्षण तथा लेखाशाखा/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/संबंधित जिला शिक्षा
पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/3/16

(सुनील कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव
संजीव

पत्रांक 10/मु०-127/2015 281
सेवा में,

पटना, दिनांक 15/3/11

अनीपधार्मिक रूप
से परामर्षित।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार पटना।

विषय :- एम०जे०सी० संख्या 2324/2015 उपेन्द्र पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.02.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में केन्द्रीय योजनान्तर्गत अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को वर्ष 2000-2001, 2006-07 एवं 2007-2012 तक पारिश्रमिक भुगतान में विलंब होने के कारण 5% की दर से ब्याज की राशि भुगतान करने हेतु जमघोष सूद की राशि 10 वादियों के भुगतान हेतु राशि 79376/- (उन्हत्तर हजार तीन सौ छियत्तर) रूपये की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

एम०जे०सी० संख्या 2324/2015 उपेन्द्र पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.02.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में केन्द्रीय योजनान्तर्गत अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को वर्ष 2000-2001, 2006-07 एवं 2007-2012 तक पारिश्रमिक भुगतान में विलंब होने के कारण 5% की दर से 10 वादियों में कुल 79376/- (उन्हत्तर हजार तीन सौ छियत्तर) रूपये सूद की राशि (जयघोष) निम्न रूप से भुगतान किया जाना है:-

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	जिला का नाम	भुगतान हेतु ब्याज राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1.	श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री राधारमण सं० उच्च वि० कोयला देवा, मठ	गोपालगंज	8633.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) गोपालगंज	गोपालगंज
2.	श्री संजय कुमार मिश्र	अक्षयवट संस्कृत प्रा० सह मा० विद्यालय, नावकोठी	बेगुसराय	9267.20	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) बेगुसराय	बेगुसराय
3.	श्री उमेश साह	कालीचरण संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, थुमहा	सुपौल	8329.40	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुपौल	सुपौल
4.	श्री विपिन प्रसाद सिंह	विशेश्वरी तुलसी संस्कृत उच्च विद्यालय, रामगढ, नरहन	समस्तीपुर	7611.60	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) समस्तीपुर	समस्तीपुर
5.	श्री सुधीर कुमार झा	भैये संस्कृत प्राथमिक सह म० विद्यालय, विंदुलिया	मधुबनी	7377.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	मधुबनी
6.	श्री प्रथम कुमार राय	मोलानाथ संस्कृत ज्ञा. प्रा० सह म० वि० सहुरिया	मधुबनी	7377.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	मधुबनी
7.	ललन कुमार झा	पं० श्री उमाकन्त ज्ञा. सं० प्रा० सह म० वि०, बरहा	मधुबनी	7377.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	मधुबनी
8.	जय प्रकाश यादव	श्री पति यादव महावीरजी संस्कृत प्रा० सह म० वि. डेदुआ	मधुबनी	7377.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	मधुबनी
9.	श्री श्रवण कुमार मिश्र	महामया संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय	अररिया	8170.80	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अररिया	अररिया
10.	प्रभाकर झा	धनवती संस्कृत मध्य विद्यालय, अवाम	दरभंगा	7853.50	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दरभंगा	दरभंगा
कुल				79376		


2. सुद की राशि का भुगतान मुख्यशीर्ष 2049-ब्याज अदायगिर्यो (प्रभृत) उपमुख्य शीर्ष 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज लघुशीर्ष 701-विविध, उपशीर्ष-0003 विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड:- N2049607010003 विषय शीर्ष 4501-ब्याज से विकलनीय होगा।

3. कड़िका 01 में अंकित राशि संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को विभाग द्वारा उप आवंटित की जायेगी।

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) आवश्यकतानुसार संबंधित कोषागार से वादियों के बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करेगे। सूद की राशि की निकासी बी०टी०सी०-51 विपत्र पर कोषागार से की जायेगी।


5. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक एवं वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा का अंकेक्षण करेगें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) स्वीकृत की गयी इस राशि का लेखा-जोखा विल्कुल अलग रखेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव


ज्ञापांक :-10/मु०-127/2015. 281 पटना, दिनांक 15/3/2016.

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन/संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-10/मु०-127/2015. 281 पटना, दिनांक 15/3/2016.

प्रतिलिपि:- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रभारी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/आय-व्यय पदाधिकारी (मा० शिक्षा)/प्रशाखा पदाधिकारी-05 एवं 10/लेखापाल, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

188 (4)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि पत्र

संचिका संख्या 10/मु०-127/2015.....विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या:-281 दिनांक:-
15.03.2016 में अंकित राशि के शब्दों में टंकण भूलवश 79376/- (उन्हत्तर हजार तीन सौ छिहत्तर) रुपये
अंकित हो गया था, कृपया उसे 79376/- (उन्नासी हजार तीन सौ छिहत्तर) रुपये पढ़ा जाय। शेष यथावत्
रहेगा।




संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक-10/मु०-127/2015.....316

पटना, दिनांक.....21/03/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10/मु०-127/2015.....316

पटना, दिनांक.....21/03/2016

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन/संबंधित
जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-10/मु०-127/2015.....316

पटना, दिनांक.....21/03/2016

प्रतिलिपि :- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रभारी उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/वित्त विभाग
(बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/आय-व्यय पदाधिकारी (मा० शिक्षा)/प्रशाखा
पदाधिकारी-05 एवं 10/लेखापाल, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव



बिहार सरकार
वित्त विभाग

3
176

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय: एम०जे०सी० सं०-2324/2015 उपेन्द्र पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि रुपये -79,376/- (उनासी हजार तीन सौ छिहत्तर) रुपये का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृतिपत्र संख्या-281 दिनांक-15.03.2016 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापक 316 दिनांक 21.03.2016 के आलोक में राशि- 79,376/- (उनासी हजार तीन सौ छिहत्तर) रुपये मात्र निधि का आवंटन निम्नांकितरूप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनसे संबंधित कोषागार एवं राशि को अंकित करते हुए दी जाती है:-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम	सुरंगतान हेतु ब्याज राशि
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) गौपालगंज	जिला कोषागार, गौपालगंज	8633.50
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) बेगूसराय	जिला कोषागार, बेगूसराय	9267.20
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुपौल	जिला कोषागार, सुपौल	8329.40
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) समस्तीपुर	जिला कोषागार, समस्तीपुर	7611.60
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	जिला कोषागार, मधुबनी	7377.50
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	जिला कोषागार, मधुबनी	7377.50
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	जिला कोषागार, मधुबनी	7377.50
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधुबनी	जिला कोषागार, मधुबनी	7377.50
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अररिया	जिला कोषागार, अररिया	8170.80
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दरभंगा	जिला कोषागार, दरभंगा	7853.50
कुल		79376.00

2. उपर्युक्त व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग सं०-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियों (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड- एन-2049607010003 विषय शीर्ष-4501 ब्याज के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

विश्वासभाजन
ह०/-

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

ज्ञापक- अ०पा० 34/15

/वि०,

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, दीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

175

ज्ञापक- अ०पा० 34/15 420 /वि०,

पटना, दिनांक 30.3.2016

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गोपालगंज/ बेगुसराय/ सुपौल/ समस्तीपुर/ मधुवनी/ अररिया/ दरभंगा, जिला पदाधिकारी
गोपालगंज/ बेगुसराय/ सुपौल/ समस्तीपुर/ मधुवनी/ अररिया/ दरभंगा, कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/ बेगुसराय/ सुपौल/
समस्तीपुर/ मधुवनी/ अररिया/ दरभंगा एवं संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग विहार, पटना को उनके पत्रांक 281 दिनांक 15.03.2016 एवं शुद्धिपत्र
ज्ञापक 316 दिनांक 21.03.2016 के प्रसंग में सूचनाार्थ प्रेषित ।

30/3/16

(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।